धारा 50 : कर के विलंबित संदाय पर ब्याज

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर, जो अठारह प्रतिशत् से अधिक नहीं होगी और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, ब्याज का संदाय करेगा :

[1][**परन्तु** धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलैक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

[2][(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत् से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित और दिनांक 01.07.2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। अधिसूचना क्रं. 16/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा इस प्रावधान को दिनांक 01.06.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था :

[A]**परन्तु** किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित् किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्ग्रहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है।

A वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 63/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 25.08.2020 द्वारा दिनांक 01.09.2020 से प्रभावशील किया गया। लेकिन सीबीईसी-20/01/08/2019-जीएसटी, दिनांक 18.09.2020 द्वारा प्रशासनिक निर्देश दिया गया है कि 01.07 2017 से 31.08.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज शुद्ध नगद कर दायित्व पर वसूला जाएगा।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 09/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा दिनांक 05.07.2022 से प्रभावशील किया गया।]

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कमी करने का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कमी पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत् से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।"